उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4
संख्या–392/2026/426P(1)/26-27-सिं0-4-CN-2053578
लखनऊ, दिनांक- 01 जून, 2026

शुद्धि पत्र

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा बैराज के दायें अफलक्स बॉध के किमी० 19.350 से किमी० 19.690 तक सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना लागत धनराशि रू० 263.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4700-09-051-10-14-24 के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू० 80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र) को प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना के कार्यों पर व्यय करने हेतु शासनादेश संख्या-376/2026/426P/26-27-सिं०-4-001-CN-2053578 , दिनांक 29.05.2026 के माध्यम से अवमुक्त की गयी है। शासनादेश पोर्टल पर निर्गत उक्त शासनादेश में तिथि **त्रुटिवश दिनांक 29-05-2026 के स्थान पर दिनांक 29-06-2026 अंकित हो गयी है।**

2. अतः उपरोक्त परियोजना लागत धनराशि रू० 263.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक अनुमान में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4700-09-051-10-14-24 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि रू० 80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र) को निर्गत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-376/2026/426P/26-27-सिं०-4-001-CN-2053578 में **दिनांक 29-06-2026 के स्थान पर दिनांक 29-05-2026 पढा जाये।**

3. उक्त शासनादेश संख्या-376/2026/426P/26-27-सिं०-4-001-CN-2053578 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें /प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना),सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (मध्य), लखनऊ / मुख्य अभियन्ता, (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी, उ0प्र0।
9- अनु सचिव /नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेंट सिस्टम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
11- नियोजन अनुभाग-3
12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in